

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/

e-mail: jdpi.cce@gmail.com . Ph.: 0141-2706736 (0);

क्रमांकः एफ4 (३३)आकाशि/नि.सं./2020/५/17

विनाक:-21-08-2020

राजस्थान गैर सरकारी शिक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं संज्य सरकार हारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत शैक्षणिक सन्न 2020-21 से सन्न 2022-2023 (तीन सन्न) तक रनातक स्तर पर नवीन निजी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ

संवालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	
श्री राजारांग ऑजणा (पटेल) शिक्षण संस्थान, सांचोर जालोर।	संत श्री किशनाराम	जय नारायण त्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर्।	अनिवार्थ विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय- अर्थशास्त्र, अंग्रेजी
			साहित्य, भूगोल, हिन्दी साहित्य इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र।
			विद्यान संकाय- वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र।

- 1. संस्था अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पन्न प्राप्त प्रत्येक सन्न हेतु तियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
- .2. रांस्था सत्र 2023-24 में निर्धारित अवधि में निर्धमानुसार अनापित प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- 3. संस्था किराए के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापतित प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सन्नों में मानवण्डानुसार रवंय की भूमि पर रवय के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
- 4. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
- 5: आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अमिलेख उपलब्ध करायेगी।
- 6. संस्था सबंधित विश्वविद्यालय से सबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० के मान्यता व विश्वविद्यालय से सबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जारे।
- संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आधोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आवटित विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई, तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशेक्षणिक स्टाफ की नियुवित सुनिहिचत करेगी।
- 8. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा गहाविद्यालय ततनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा ।
- 9: राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2020-21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा
- 10. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुरितंका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूबनायें भरकर निदेशालय को भेजेगी।
- 11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर कर्वाकर Der-11 10 ata Capture format-II) भरकर अपलींड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात कींपी आगानी 15 दिवस में निवेशालय में प्रस्तुत करेंगा।

नहीं करने क्षेत्रिया असम्बंद प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। क्षे रिज. क्रमांक :

एफ 4 (33) आकाशि/

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एक एक प्रिक्ष कि सिन है -

1. किशिष्ट सचिव, गा० उच्च शिक्षा में के शिव्य, राजरशास्त्र विथप्र 2. निजी सचिव, शासन राविव, उच्चा शिक्ष भाषामान स्थिव, जयपुर ।

3. निजी सिवेव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

4. जिला कलंक्टर, जालीर।

5. कुल सचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।

7. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

8. रिक्षेत पत्रावली

संयुक्त-निदेशक (नि०सं०) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर